स्मार्ट गांव से सशक्त भारत

—उमाशंकर मिश्र एवं
—डॉ. रश्मि बोहरा

गांवों के देश और कृषि आधारित भारत की अर्थव्यवस्था में 'स्मार्ट गांव' अब बदलते वक्त की हकीकत बनने जा रहे हैं। स्मार्ट गांवों के निर्माण से सशक्त भारत बनने की राह प्रशस्त हो सकती है। लेकिन सबसे पहले सड़क, शौचालय, बिजली, पेयजल, शिक्षा, रोजगार, घाटे की खेती और पंचायती राज की समस्याओं से जूझ रहे ग्रामीण भारत की बुनियादी समस्याओं को दूर करना जरूरी है।

कुछ समय पूर्व जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सौ स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की थी, तभी से सवाल उठने लगा था कि भारत की बहुसंख्य आबादी को स्मार्ट जिंदगी आखिर कब नसीब होगी? यह सवाल उठना लाजिमी भी था। खासतौर पर ऐसे वक्त में जबकि देश की अधिकतर ग्रामीण आबादी अभी तक भोजन, पानी, बिजली, सड़क, शौचालय, शिक्षा और रोजगार जैसे बुनियादी मसलों से जूझ रही है।

आज जब पूरी दुनिया सूचना के सुपर–हाइवे पर दौड़ रही है और स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट–वॉलेट, स्मार्ट किचन और स्मार्ट–होम की अवधारणा अस्तित्व में आ चुकी है, तो गांवों को इस स्मार्टनेस से दूर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अब जबकि भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की तर्ज पर 300 ग्राम समूहों को 'स्मार्ट गांव' में बदलने के लिए 'श्यामाप्रसाद मुखर्जी रअर्बन मिशन' की घोषणा कर दी

है, तो गांवों के विकास की एक उम्मीद जगी है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि भारत जिसे 'गांवों का देश' कहा जाता है, जहां बहुसंख्य आबादी गांवों में ही निवास करती है और जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेतीबाड़ी है, वहां पर 'स्मार्ट गांव' के आखिर मायने क्या हैं? वर्तमान हाईटेक युग में गांवों में भोजन, पानी, सड़क और शौचालय बना देना ही क्या पर्याप्त माना जा सकता है? क्या इस योजना की बदौलत ग्रामीण युवाओं को मौजूदा सूचना समाज से जुड़कर रोजगार के रास्ते तलाशने का मौका मिल सकेगा? सवाल कई हैं। जाहिर है भूमंडलीकरण और इंटरनेट की बदौलत आज जब पूरी दुनिया 'वसुधैव कुटुम्बकम' की ओर तेजी से बढ़ रही है, तो ऐसे में भारतीय गांवों को सिर्फ दो वक्त की रोटी पर केंद्रित नहीं रखा जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो 'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रअर्बन मिशन' के तहत गांवों की तस्वीर बदलने का सपना पूरा हो सकता है। इन गांवों में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी की अधिकांश सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत करीब 5142 करोड़ रुपये के व्यय से पूरे देश में आगामी तीन वर्षों में 300 ग्रामीण क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसमें ग्राम पंचायत या फिर जुड़े गांव शामिल रहेंगे।

बुनियादी सुविधाओं के अलावा गांवों की अपनी सामाजिक समस्याएं भी हैं, जो पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र को भी प्रभावित करती हैं। मौजूदा योजना में उन तमाम समस्याओं को दूर करने की पहल की गई है। 'डिजिटल इंडिया' के तहत 2.5 लाख गांवों में तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने की पहल की जा चुकी है। केरल के इडुक्की जिले से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। इडुक्की पहला जिला है जिसे नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। इस पहल से गांव के सभी मोबाइल फोन को इंटरनेट से जोड़ दिया गया है। इसी तरह की पहल अब देश के अन्य जिलों में भी की जा रही है। गांवों में इंटरनेट की पहुंच और उसके सर्वसुलभ होने से भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करने में मदद मिल सकती है। ग्रामीण छात्रों को इंटरनेट के जरिये दुनिया भर की तमाम जानकारियां मिल सकेंगी और उनके विकास के रास्ते खुलेंगे। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन लोगों को होगा, जो नौकरशाही से परेशान हैं। ग्रामीणों का डिजिटल सशक्तीकरण उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में काफी हद तक कारगर हो सकता है। गवर्नेंस और ऑन डिमांड सर्विसेज की ऑनलाइन पहुंच गांवों तक होने से इस समस्या को काफी हद तक दूर किया जा सकता है।

बेहतर होगा कि सरकार हरेक गांव में एक ई–सर्विस सेंटर खोलने के बारे में भी विचार करे, जहां पर बिना किसी रुकावट के इंटरनेट के इस्तेमाल की सहूलियत हो। ये ई–सर्विस सेंटर ग्रामीणों को इंटरनेट से जुड़ी तमाम सेवाएं नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध करा सकते हैं। फिलहाल नौकरी या फिर किसी शिक्षा संस्थान में आवेदन करने के लिए ग्रामीण छात्रों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। गांव में अगर ई–सर्विस सेंटर होगा तो इस मुश्किल को दूर किया जा सकेगा। इसी के साथ–साथ हेल्थ, एजुकेशन, इंश्योरेंस और बैंकिंग समेत विभिन्न सेक्टर्स से ग्रामीणों का सीधा जुड़ाव हो सकेगा। ई–सर्विस सेंटर के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को सौंपी जा सकती है और ग्राम पंचायत इसके लिए अस्थायी तौर पर कुछ लोगों की समिति गठित कर सकती है। ब्लॉक लेवल अधिकारी को संबंधित ब्लॉक के गांवों के ई–सर्विस सेंटर्स की निगरानी का जिम्मा सौंपा जा सकता है। गैर–सरकारी संगठनों की मदद भी इस काम में ली जा सकती है, जो महिलाओं, बुजुर्गों और छात्रों को इंटरनेट आधारित रचनात्मक गतिविधियों के जरिये ई–सर्विस सेंटर से जोड़ने का काम कर सकते हैं। इंटरनेट की पहुंच होने से गांवों में बीपीओ तेजी से खोले जा सकते हैं, जहां महिलाओं को रोजगार मिल सकता है। कुल मिलाकर देखें, तो 'डिजिटल इंडिया' समग्र ग्रामीण विकास का अग्रदूत बन सकता है। लेकिन बिजली की अघोषित कटौती आज भी गांवों की एक बड़ी समस्या है।

बिजली के बिना 'डिजिटल' लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। बहरहाल, सौर ऊर्जा के उपयोग से इस मकसद को अंजाम दिया जा सकता है। सौर ऊर्जा न केवल किफायती है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। कई राज्यों में सिंचाई के लिए सोलर पंप का इस्तेमाल काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। सोलर पैनल लगाकर न केवल अबाध इंटरनेट की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है, बल्कि गांवों की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। हाल में अपनी लंदन यात्रा के दौरान वेम्बले स्टेडियम में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री भी इस संबंध में अपनी प्रतिबद्धता दोहरा चुके हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, वर्ष 2019 में महात्मा गांधी के जन्म के 150 साल पूरे हो रहे हैं। मेरे दो सपने हैं– पहला, सफाई और दूसरा, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति। इसके लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा से 150 गीगावॉट बिजली पैदा करने का कार्य शुरू किया है।

आधारभूत संरचना के विकास के अलावा गांवों की कई सामाजिक समस्याएं भी हैं। इनमें छूआछूत से लेकर लैंगिक भेदभाव तक शामिल हैं। ग्रामीण भारत की सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक भेदभाव से जुड़ी समस्याओं से विभिन्न नीतियों के जरिये समय–समय पर निपटने की कोशिश की गई है, जो आज भी जारी है। इनमें दहेज, विवाह की आधिकारिक उम्र बढ़ाने और लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने के प्रयास प्रमुख हैं।

इन प्रयासों के बावजूद विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत की कार्यशील आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 30 प्रतिशत है। जाहिर है ग्रामीण इलाकों में लैंगिंक भेदभाव अभी मिट नहीं पाया है। लैंगिक असमानता, महिला स्वास्थ्य और प्रसव–पूर्व लिंग पहचान जैसी चुनौतियों से सख्ती से निपटना होगा, तभी समवेशी विकास के सपने को साकार किया जा सकेगा।

इन सबसे महत्वपूर्ण कृषि और किसानों का सशक्तिकरण है। सकल घरेलू उत्पाद में आज भी कृषि की हिस्सेदारी महत्वपूर्ण है। मानसून कमजोर होने से एक ओर किसानों को परेशानी झेलनी पड़ती है, तो दूसरी ओर कीमतें बढ़ने से उपभोक्ताओं के लिए भी जीवनयापन कठिन हो जाता है। दीर्घकालीन और टिकाऊ खेती वक्त की जरूरत है। इसी के साथ कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की ट्रेनिंग देकर किसानों को सशक्त बनने की ओर अग्रसर किया जा सकता है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के साथ–साथ किसानों को फसल का उपयुक्त मूल्य दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। तभी कृषि और किसानों का भला हो सकेगा।

भारत सरकार ने स्मार्ट गांव के लिए 14 जरूरी अनिवार्य शर्तें तय की हैं। इनमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भंडारण सुविधा, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छता, नल–जल आपूर्ति, ठोस और तरल कूड़ा प्रबंधन, ग्रामीण सड़क और नालियों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट, मोबाइल हेल्थ इकाई, उच्च शिक्षा की सुविधा, सड़क, ई–सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन और रसोई गैस कनेक्शन शामिल हैं। गांवों के समूह में 25 हजार से 50 हजार की आबादी होगी। जबकि पहाड़ी, रेगिस्तान या आदिवासी इलाकों में जिन सटे हुए गांवों को समूह के तौर पर विकसित किया जाना है, उनकी आबादी 5 हजार से लेकर 15 हजार के बीच होगी। 'स्मार्ट गांव' का चुनाव करते वक्त उन गांवों में तीर्थ और पर्यटन की क्षमता और आसानी से पहुंचने वाले इलाकों का ख्याल रखा जाएगा।

'स्मार्ट सिटी' की तरह 'स्मार्ट गांव' के लिए केंद्र सरकार वित्तीय मदद करेगी, जबकि बाकी की रकम ग्राम समूह को खुद से जुटानी पड़ेगी। स्मार्ट सिटी के विकास के लिए एक कंपनी बनाने का प्रावधान है, जिसका एक सीईओ होगा। कुछ इसी तरह 'स्मार्ट गांव' के लिए भी संस्थागत व्यवस्था की जाएगी, जो 'स्मार्ट गांव' बनाने में सहयोग करेगा। इन सुविधाओं के माध्यम से डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे।

इस योजना का लक्ष्य गांवों को समूह के तौर पर विकसित करना है, जिसमें बुनियादी ढांचे की सुविधा के साथ कुशल कारीगर और लोगों को स्वरोजगारी बनाने के साधन उपलब्ध होंगे। अगर ऐसा हुआ, तो गांवों से पलायन कम होगा और भारतीय गांव एक बार फिर से आत्मनिर्भर सत्ता बन सकेंगे। लेकिन इन तमाम बातों को ग्राम पंचायतों के सशक्तीकरण के बिना अंजाम नहीं दिया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करना और ग्रामसभा की ताकत से ग्रामीणों को परिचित कराना वक्त की जरूरत है। ऐसे गांवों की संख्या काफी अधिक है, जहां ग्रामसभा की बैठकें तक नहीं होती। गांव के विकास से जुड़े फैसलों में जनभागीदारी न होने से ग्राम प्रधान की तानाशाही चलती है। जाहिर है ऐसे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। इसलिए पंचायती राज की पुर्नस्थापना भी जरूरी है।

(लेखक क्रमशः वर्धमान खुला विश्वविद्यालय (कोटा) में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में शोधार्थी और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)
ई–मेलः umashcenkermm2@gmail.com